(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 111/2021

बउनवान

1. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी रींझा तहसील छबडा जिला बारॉ
2. गोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी रींझा तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. चन्द्रशेखर पुत्र भैरूलाल जाति गालव ब्राहमण निवासी रींझा हाल निवासी मुख्य चौराहे के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व/धारा 183(बी)/ 2021/1605 में पारित आदेश दिनांक 22.1.2021 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 12.10.2021

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व/धारा 183(बी)/ 2021/1605–1606 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 02.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष के अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राज0टी0एक्ट के तहत पेश किया था, जिसमे ग्राम रींझडी तहसील छबडा के खाता संख्या 25 की खसरा नम्बर 8 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि अपीलांटस के खातेदारी की है, जिसमे से खसरा नम्बर 17 रक[illegible] 9 बिस्वा पर रेस्पो0 क्रमांक 1 द्वारा जबरन ताकत के बल पर [illegible] रेस्पो0 क्रमांक 1 को बेदखल करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे एक [illegible] पत्र 183 (बी) राज0टी0एक्ट पेश कर निवेदन किया था कि रेस्पो0 क्रमांक 1 को अपीलांट के खातेदारी की [illegible]जी वाके ग्राम रीझडी तहसील छबडा की खसरा नम्बर [illegible] की रकबा 4 बीघा 9 [illegible] भूमि से बेदखल किया जाकर अपीलांटस को कब्जा दिलवाया जावे।

लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर अंकित तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये अपीलांटस का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2021 को आदेश व निर्णय पारित करते हुये खारिज कर दिया है। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested

असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पो0 क्रमांक 1 द्वारा कृषि भूमि पर ईट भ्टटा लगाकर कृषि भूमि को बिगाडा जा रहा है जिससे भविष्य मे उक्त भूमि पर कृषि करना ही व्यर्थ हो जावेगा। अपीलांट का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त ट्रायल का है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश से सिविल नेचर का बना दिया है। वर्तमान मे खसरा नम्बर 17 रकबा 4 बीघा 9 विस्बा भूमि वाके ग्राम रीझडी तहसील छबडा की अपीलांटस के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत 2014 DNJ (Rev) 198 से 205 श्रीकिशन बनाम हरबक्श प्रस्तुत किए जाकर कहा गया कि वर्तमान मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 4 बीघा 9 विस्बा भूमि वाके ग्राम रीझडी तहसील छबडा की अपीलांटस के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर साबित नही होते है ओर लिमिटेशन भी इस पर लागू नही होता है। चूंकि रेस्पो0 क्रम 1 अपीलांटस से उक्त वावादित आराजी को मुनाफे काश्त पर लेता था, इसके द्वारा पिछले वर्ष से कब्जा नही छोडा। रेस्पो0 क्रम 1 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त विवादित आराजी से रेस्पो0 क्रमांक 1 को बेदखल कर अपीलांटस को कब्जा दिलवाये जाने का आदेश रेस्पो0 क्रमां 2 को फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करवाते हुये कहा गया कि ग्राम रींझडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 17 की भूमि 5 बीघा 17 बिस्वा थी, जिसमे से 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि रोड मे चली गई अब यह भूमि 4 बीघा 09 बिस्वा शेष रहती है। भूमि खसरा नम्बर 17 को प्रतिवादी के पिता भैरूलाल आत्मज हीरालाल जी गालव ने संवत 2008 मे वादीगण के पिता जगन्नाथ आत्मज भंवरलाल मीना से 80/– रूपये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, उस समय वादीगण की माता गुलाबबाई भी मौजूद थी। संवत् 2008 यानि की वर्ष 1951 से यह भूमि प्रतिवादी के पिता भैरूलाल जी के कब्ज काश्त मे चली आ रही है। जिसे लगभग 70 वर्ष का समय हो चुका है। प्रकरण मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता का भी स्वर्गवास हो चुका है। संवत! 2008 मे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम प्रभाव मे नही था तथा टीनेन्सी एक्ट भी 1955 मे लागू हुआ इससे पूर्व ही प्रतिवादी के पिता ने उक्त भूमि खरीद करली थी। तब से ही प्रतिवादी एवं उसके परिवार के सदस्य मुताबिक सजरा काबिज चले आ रहे है। वादीगण द्वारा इस बाबत पूर्व मे भी विवाद किया था। तब वादी की माता गुलाबबाई बेवा जगन्नाथ मौजूद थी जिसने बईमानी नही करके ईमानदारी पूर्वक राजीनामा वर्ष 1992 मे लिखकर प्रतिवादी के पिता भैरूलाल को दियाथा। जिसमे वादी के हस्ताक्षर गवाहन की मौजूदगी मे किये गये थे। इस राजनामे को भी 28 वर्ष का समय हो चुका है रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार यदि बेचान 100/– रूपये से ज्यादा का है तो उसका पंजीयन अनिवार्य है विवादित आराजी का बेचान 80/– रूपये का होना है प्रतिवादी एवं परिवार के सदस्य इस बेचान की राजीनामे अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के आधिकारी है। यह कि धारा 42 आरटीएक्ट वर्ष 1964 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तथा एस.सी. एस.टी. एक्त वर्ष 1963 का है विवादित आराजी का बेचान सन् 2008 यानि कि वर्ष 1951 का है इस बेचान पर धारा 42 आरटीएक्ट की लागू नही होती है। वादीगण द्वारा धारा 183 (बी) का प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। धारा 135 एलआरएक्ट के अनुसार भैरूलाल जी के वारिसान नामान्तरकरण खुलवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:40:52 IST
Reason: SetAttested

इनके द्वारा संवत 2008 मे 80/– रूपये मे खसरा नम्बर 17 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा जिसका 1 बीघा 08 बिस्वा रकबा सालपुरा से छबडा सडक के निर्माण में अधिग्रहण कर लेने से वर्तमान मे 04 बीघा 09 बिस्वा बताया है का बेचान करना वादीगण

के पिता जगन्नाथ द्वारा स्वीकार किया है एवं उपरोक्त बेची हुई भूमि के पुनः 8000/- रूपये प्राप्त करना अंकित किया है। प्रकरण मे प्रतिलिपी प्राप्त करने को प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2020 की नकल मे स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी द्वारा वांछित नकल नामान्तरकरण नम्बर 4 (हाल सेटलमेंट से पूर्व का) व जमाबंदी संवत 2022-25 तक रिकार्ड मे अप्राप्त है अतः प्रार्थी को सूचित किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज होना प्रस्तावित है।

ग्राम रीझडी की जमाबंदी संवत 2012-15 के खाता नम्र 16/1 के खातेदार जगन्नाथ वल्द कंवरलाल जाति मीना के नाम खसरा नम्बर 8 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज खाते थी। जिसमे इंतकाल नमबर 4 से खसरा नम्ब्र 17 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा (अपठनीय) मुंतकिल होकर भैरूलाल वल्द हीरालाल ब्राहमण मे नाम दर्ज हुआ तारीख 15.03.1958 इस नकल से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के पिता भैरूलाल का नाम इंतकाल नम्बर 4 से खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा पर खातेदार की हैसियत से दर्ज था। नकल संवत 2016 के कॉलम नम्बर 24 मे खसरा नमब्र 17 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के सामने खरीददार भैरूलाल वल्द हीरालाल सा. रीझडी का नाम दर्ज है यही संवत 2017 के कॉलम नमब्र 31 मे दर्ज है। संवत 2019 की खसरा गिरदावरी की नकल मे खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भैरूलाल वल्द हीरालाल ब्राहमण सा. रीझा के नाम दर्ज है। इसमे जगन्नाथ मीना का नाम काट कर लघु हस्ताक्षर किये गये है। प्रकरण काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जिस पर लिमिटेशन एक्ट भी लागू होता है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत RRD 1980 गुरचरण सिंह बनाम नाथूराम पेज 601 एवं RRD 1980 स्टेट ऑफ राज. बनाम नाथू सिंह पेज 603 एवं RRD 1990 दीपचन्द बनाम स्टेट ऑफ राज. पेज 197 एवं 2014 DNJ (SC) 889 रामकरण बनाम स्टेट ऑफ राज. एवं RRT 2006 (1) नाथूराम बनाम स्टेट ऑफ राज. पेज 383-384 प्रस्तुत किए जाकर कहा गया कि अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

प्रकरण मे उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :-राजस्व/धारा 183(बी)/2021/1605 में पारित आदेश दिनांक 22.1.2021 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि प्रकरण मे अपीलांटस का कथन है कि उनके खातेदारी की आराजी वाके ग्राम रींझडी तहसील छबडा की खसरा नम्बर 17 की रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा कब्जा कर लिया गया है उसको बेदखल किया जाकर अपीलांटस को कब्जा दिलवाया जावे। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट का कथन है कि ग्राम रीझडी तहसील छबडा की भूमि खसरा [illegible] 17 को [illegible] के पिता भैरूलाल आत्मज हीरालाल जी गालव ने संवत 2008 मे वादीगण के [illegible] जगन्नाथ आत्मज भंवरलाल मीना से 80/- रूपये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया [illegible] उस समय वादीगण की माता गुलाबबाई भी मौजूद थी। संवत 2008 यानि की वर्ष [illegible] से यह भूमि प्रतिवादी के पिता भैरूलाल जी के कब्ज काश्त मे [illegible] जिसे लगभग 70 वर्ष का समय हो चुका है। प्रकरण मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के [illegible] का भी स्वर्गवास हो चुका है। संवत! 2008 मे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम प्रभाव मे नही था तथा टीनेन्सी एक्ट भी 1955 मे लागू हुआ इससे पूर्व ही प्रतिवादी के पिता ने उक्त भूमि खरीद ली थी। तब से ही प्रतिवादी एवं उसके परिवार के सदस्य मुताबिक सजरा काबिज चले आ रहे है। प्रकरण मे वर्तमान मे खातेदार अपीलांटस है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:40:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व/धारा 183(बी)/2021/1605–1606 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांटस को उनके खातेदारी की विवादित भूमि ग्राम रींझडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 17 की रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा से रेस्पोडेन्ट को बेदखल किया जाकर अपीलांटस को उक्त विवादित भूमि पर कब्जा सम्भलाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:40:52 IST
Reason: SelfAttested